(II) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय उत्क्रमण रु0 14,300-18,300/- तक के उच्चतम वेतनमान तक सीमित रहेगा । इससे उच्चतर वेतनमान में वित्तीय उन्नयन अनुमान्य नहीं होगा तथा इससे उच्चतर पदों को दृढ़ता पूर्वक रिक्तियों पर आधारित पदोन्नति से भरे जायेंगे ।

(III) एक्सी0पी0 योजना का लाभ निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 9-8-1999, जो बाद की तिथि हो, से प्रदान किया जायेगा। किन्तु बकाया की गणना झारखण्ड राज्य के गठन अर्थात् दिनांक 15-11-2000 तक ही सीमित रहेगी । दूसरे शब्दों में, दिनांक 15-11-2000 के पूर्व को कोई भी बकाया अनुमान्य नहीं होगा ।

(IV) एक्सी0पी0 योजनान्तर्गत 12 वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात् प्रथम वित्तीय उत्क्रमण तथा प्रथम वित्तीय उत्क्रमण के पश्चात् 12 वर्षों की लगातार नियमित सेवा के उपरान्त द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण अन्य निर्धारित शर्त्तों के पूरा करने के अधीन प्रदान की जायेगी । दूसरे शब्दों में, अगर प्रथम उत्क्रमण सरकारी सेवक की अयोग्यता अथवा विभागीय कार्रवाई के कारण लम्बित रहता है तो इसका परिणामी प्रभाव द्वितीय उत्क्रमण पर भी होगा, जो तद्नुसार विलम्बित होगा । इस अवधि में अगर कोई कर्मचारी प्रशिक्षण, वाह्य सेवा शर्त्त छुट्टी में रहते हैं, तो प्रशिक्षण, वाह्य सेवा, छुट्टी आदि के सम्बन्ध में जब तक अन्तिम निर्णय न लेकर यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि प्रश्नगत अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी, तबतक विवादित अवधि की गणना एक्सी0पी0 के निमित्त नहीं की जायेगी ।

उपर्युक्त शर्त्त के अधीन यदि कोई सरकारी सेवक 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुका है एवं उसे दो या एक भी नियमित पोन्नति नहीं मिली हो तो उसे सीधे द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण स्वीकृत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त प्रथम वित्तीय उत्क्रमण के लिये आवश्यक नियमित सेवा से अधिक की गयी नियमित सेवा का लाभ द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण हेतु जोड़ा जायेगा । दूसरे शब्दों में, यदि कोई सरकारी सेवक 12 वर्षों से अधिक किन्तु 24 वर्षों से कम की नियमित सेवा की है, तो प्रथमवित्तीय उन्नयन का लाभ तुरन्त दिया जायेगा एवं 12 वर्षों की सेवा से अधिक की गयी नियमित सेवा को द्वितीय वित्तीय उन्नयन हेतु अतिरिक्त 12 वर्षों की नियमित अर्हक सेवा में जोड़ा जायेगा तथा सम्बन्धित कर्मी को 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि को द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर इस योजनाके तहत् प्रथम वित्तीय उन्नयन की तिथि से 12 वर्षों की नियमित सेवा का इन्तजार किये बिना किया जायेगा ।

.....3.